फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

ग्रा/विग्रा बनाम निधि ग्रा.वी

मुकदमा नम्बर :– 76/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28/3/25	प.क्र.उप.। प्रतिवादी सं. 1 ने प्रा.पत्र आपत्ति कुर्रेजात पेश करने वास्ते एक अवसर चाहने का पेश किया व प्रतिवादी सं. 2 ने प्रा.पत्र ऐतराज कुर्रेजात का पेश किया। नकल दिलायी गयी। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रा.पत्र आपत्ति पेश करने वास्ते समय चाहने का स्वीकार किया जाता है पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रा.पत्र ऐतराज कुर्रेजात के पेश करने प्रति.वादी सं. 1 की ओर से प्रा.पत्र ऐतराज कुर्रेजात हेतु दिनांक 03/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	
	03/4/25	प.क्र.उप.। प्रतिवादी सं. 2 के ऐतराज कुर्रेजात रिपोर्ट पर सीधे बहस सुनी गयी। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 ने दौराने बहस प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी/वादी ने दौराने बहस कथन किया कि रिपोर्ट मौके मौका के अनुसार व पक्षकारान को सूचित करते हुए तैयार की गयी है बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 का प्रा.पत्र ऐतराज कुर्रेजात प्रकरण में देरी करने की गरज से पेश किया है जो पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है बहस कुर्रेजात सुनी गयी। वकील वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने मुताबिक कुर्रेजात वाद को अन्तिम डिक्री हेतु निवेदन किया। बहस कुर्रेजात सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी	वादी उपस्थित अ.नि. द्विगारीलाल Identify P. [illegible]

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बनाम

मुकदमा नम्बर :–   /

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		के पाउ मुताबिक कुर्रेजात अंतिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर प कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो [signature] सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—76 / 2017
उनवान—श्रवण कुमार बनाम छीगनी देवी वगै0
निर्णय दिनांकः—03.04.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:—76 / 2017

उनवान

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल पारीक, जाति पारीक, निवासी ग्राम सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादीगण—

बनाम

1. छीगनी देवी पत्नी लालाराम
2. काना पुत्र छोटू

   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उप—पंजीयक महोदय गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. बैंक ओ0बी0सी0 बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ओ0बी0सी0 बैंक शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. बैंक एस0बी0आई0 बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक एस0बी0आई0 बैंक शाखा खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण—

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा नम्बर :—76 / 2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कंई रूबरू हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

विवादित भूमि वाके वाके ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नं0 1117 रकबा 0.61 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 24.03.2025 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:—

1. श्रवण कुमार पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण OBC शाखा गोविन्दगढ के हिस्से में खसरा नम्बर 1117 / 1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

रकबा 0.2250 है0, खसरा नम्बर 1117/3 रकबा 0.2350 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.46 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जिसे नारंगी रंग से दर्शाया गया है।

2. छीगनी देवी पत्नि लालाराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहिर सा0 कालाडेरा खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण SBBJ शाखा खेजरोली खसरा नम्बर 1117/2 रकबा 0.060 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.060 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जिसे नीले रंग से दर्शाया गया है।

3. काना पुत्र छोटू हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहिर सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिंगोद कला के हिस्से में खसरा नम्बर 1117/4 रकबा 0.090 है0 भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जिसे पीले रंग से दर्शाया गया है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज. की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 03.04.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.................................

ओहदा सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—76/2017
उनवान—श्रवण कुमार बनाम छीगनी देवी वगै0
निर्णय दिनांकः—03.04.2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	6	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–76/2017
उनवान–श्रवण कुमार बनाम छीगनी देवी वगै0
निर्णय दिनांकः–03.04.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–76/2017

उनवान

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल पारीक, जाति पारीक, निवासी ग्राम सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. छीगनी देवी पत्नी लालाराम
2. काना पुत्र छोटू
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उप–पंजीयक महोदय गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. बैंक ओ0बी0सी0 बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ओ0बी0सी0 बैंक शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. बैंक एस0बी0आई0 बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक एस0बी0आई0 बैंक शाखा खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–03.04.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया। वकील वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 24.03.2025 पर सहमति जताते हुए वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 24.03.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नं0 1117 रकबा 0.61 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः–

सहायक क[illegible]
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–76 / 2017
उनवान–श्रवण कुमार बनाम छीगनी देवी वगै0
निर्णय दिनांकः–03.04.2025

1. श्रवण कुमार पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण OBC शाखा गोविन्दगढ के हिस्से में खसरा नम्बर 1117 / 1 रकबा 0.2250 है0, खसरा नम्बर 1117 / 3 रकबा 0.2350 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.46 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जिसे नारंगी रंग से दर्शाया गया है।
2. छीगनी देवी पत्नि लालाराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहिर सा0 कालाडेरा खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण SBBJ शाखा खेजरोली खसरा नम्बर 1117 / 2 रकबा 0.060 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.060 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जिसे नीले रंग से दर्शाया गया है।
3. काना पुत्र छोटू हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहिर सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिंगोद कला के हिस्से में खसरा नम्बर 1117 / 4 रकबा 0.090 है0 भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जिसे पीले रंग से दर्शाया गया है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक क...
चौमूँ (जयपुर)